अस्थायी दुकान हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 06.03.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-2027 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर अस्थायी दुकानों के स्थान आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज दिनांक-06.03.2026 को समय दोपहर 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन-द्वितीय बागपत उपस्थित आयें। नीलाम समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनाँक 18.03.2026 को जनपद न्यायालय परिसर बागपत में स्थित सम्मेलन कक्ष में सायं 04.00 बजे कराने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड कराया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

कुल 24 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन एवं आरम्भिक बोली का विवरण निम्नवत है:-

गेट संख्या-02 के दक्षिण में स्थित अस्थायी दुकानों हेतु स्थान का आवंटन

क्र.सं.	अस्थायी दुकान का विवरण	पूर्व आवंटी का नाम	वर्तमान आरम्भिक बोली	भूमि का विवरण
01	स्थान संख्या – A	पवन	61600	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	स्थान संख्या – B	सुमित	35200	
03	स्थान संख्या – C	राधेश्याम	36300	
04	स्थान संख्या – D	राखी जैन	48400	
05	स्थान संख्या – E	श्याम	67100	
06	स्थान संख्या – F	पंकज चौहान	36300	
07	स्थान संख्या – G	अभिषेक जैन	44000	
08	स्थान संख्या – H	मोनू	35750	
09	स्थान संख्या – I	अनुभव सिंह	35200	
10	स्थान संख्या – J	किसी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगायी गयी		

गेट संख्या-03 के उत्तर में स्थित अस्थायी दुकानों हेतु स्थान का आवंटन

क्र.सं.	अस्थायी दुकान का विवरण	पूर्व आवंटी का नाम	वर्तमान आरम्भिक बोली	भूमि का विवरण
01	स्थान संख्या – A	पिंटू	35200	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	स्थान संख्या – B	विनोद चौहान	35750	
03	स्थान संख्या – C	किसी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगायी गयी		
04	स्थान संख्या – D	किसी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगायी गयी		
05	स्थान संख्या – E	अंकुर	35750	
06	स्थान संख्या – F	राहुल दीक्षित	35200	

07	स्थान संख्या – G	जुल्फकार	36300	
08	स्थान संख्या – H	अंकित वशिष्ठ	34320	
09	स्थान संख्या – I	नीरज शर्मा	35750	
10	स्थान संख्या – J	आगम जैन	35750	
11	स्थान संख्या – K	मौ0 इशरार	35750	
12	स्थान संख्या – L	अमित सैनी	36300	
13	स्थान संख्या – M	दिनेश शर्मा	122100	
14	स्थान संख्या – N	अमित चौहान	36300	
15	स्थान संख्या – O	दिलशाद	35200	

नीलामी की शर्तें निम्नवत हैः-

01. प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक मात्र एक वर्ष के लिये होगा।

02. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवटंन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवटंन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।

03.न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

04. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

05. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग – अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

06. किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में एक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटित होने पर किसी भी दशा में दूसरी अस्थाई दुकान हेतु स्थान का आवंटन नही किया जायेगा।

07. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके आरम्भ की जायेगी।

08. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवटंन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

09. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी। नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवटंन को निरस्त कर सकते है।

10. अस्थायी दुकान हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी दुकान के स्थान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।

11. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण करा सकते है। अस्थाई दुकानो के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थायी दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

12. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।

13. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र 100/- रूपये के स्टांप पर प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें। नीलाम समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अस्थायी कैंटीन हेतु रास्ता प्रदान किये जाने हेतु गेट संख्या-3 के उत्तर में एक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन कम किया जायेगा तथा 15 स्थानों के स्थान पर 14 स्थानों का आवंटन खुली बोली द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

06/03/26	06/03/26	06/03/26
रजनीश कुमार-द्वितीय सदस्य ठेका नीलामी समिति/ सिविल जज जू0 डिवीजन द्वितीय, बागपत।	**रत्नम श्रीवास्तव** सदस्य ठेका नीलामी समिति/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत।	**पवन कुमार राय** अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-05 बागपत।

Approved.
06.3.26
District Judge
Baghpat

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर अस्थायी दुकानों हेतु स्थान की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2026 को अपराह्न 04:00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में होना नियत है।

इच्छुक व्यक्ति अस्थायी दुकानों हेतु स्थान की नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 18.03.2026 को अपराह्न 01.00 बजे से पूर्व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांकः-06.03.2026

06/03/26

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-05 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
02. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
03. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
04. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
05. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

06/03/26

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-05 बागपत।